

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
आरएंडडी-II अनुभाग R&D-II Section

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan  
छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg,  
मुंबई Mumbai - 400 001.  
दु.क्र.Tel: 022-22862763  
ईमेल Email: rd2@dae.gov.in

सं.No.2/48(15)/2016/एनबीएचएम(आर.पी)NBHM(R.P)/आरएंडडी R&D II/16941 Date: 09-12-2016  
22/12/2016

आदेश ORDER

डॉ. मुख्तार अहमद ख़ांडे, सहायक प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेथेमेटिक्स, कश्मिर विश्वविद्यालय हजरतबल, श्रीनगर, के तहत "Mathematical Analysis on the Diffusion of Drug and its Absorption Rate in Biological Tissue : with Special reference to Transdermal Drug Delivery System" शीर्षक की अनुसंधान परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय उच्चतर गणितीय बोर्ड की सिफारिश के संबंध में विभाग का प्रशासनिक अनुमोदन इसके द्वारा सूचित किया जाता है। उक्त परियोजना हेतु कुल अनुदान की राशि ₹ 14,18,100/- (रूपए चार लाख अठारह हजार एक सौ केवल) होगी, जो निम्नानुसार है :

On the recommendation of the National Board for Higher Mathematics (NBHM), the administrative approval of this Department is hereby conveyed for grant of financial assistance to the Research Project entitled "Mathematical Analysis on the Diffusion of Drug and its Absorption Rate in Biological Tissue : with Special reference to Transdermal Drug Delivery System" under Dr. Mukhtar Ahmad Khanday, Assistant Professor, University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar for 3 years. The total grant for the project will be ₹ 14,18,100/- (Rupees Fourteen Lakh Eighteen Thousand One Hundred Only) as under :-

क्र.स. Sr. No.	मद Items	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल Total (₹)
		1st Year (₹)	2nd Year (₹)	3rd Year (₹)	
	वित्त वर्ष Financial Year	2015-16	2016-17	2017-18	
1	प्रथम दो वर्षों के ₹25000 और तृतीय वर्ष के लिए ₹28000 प्रति जेआरएफ One JRF @ ₹ 25000/- p.m. for first two years and @ ₹ 28000/- p.m. for third year.	300000	300000	336000	936000

: 2 :

2	पुस्तकालय अनुदान Library Grant	25,000	20,000	20,000	65,000
3	कंप्यूटर हार्डवेयर Computer Hardware	1,00,000	-	-	1,00,000
4	घरेलू यात्रा Domestic Travel *	40000	40000	40000	120000
5	उप कुल (उक्त 1 से 4 तक का योग) Sub Total (sum of 1 to 4 above)	465000	360000	396000	1221000
6	उक्त क्रम सं. 5 के 10% की दर से उपरि व्यय Over head @ 10% of the above	46,500	36000	39600	122100
8	प्रधान अन्वेषक के लिए आकस्मिकताएं Contingencies for Principal Investigator	25,000	25,000	25,000	75,000
	कुल योग Grand Total:	5,36,500	4,21,000	4,60,600	14,18,100

\* टिप्पणी Note: 1. विदेशी यात्रा की अनुमति नहीं है। No foreign travel permitted.

2. घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। No DA on domestic / international flight can be given.

2. प्रथम वर्ष के लिए ₹ 2,36,500/- (रूपए दो लाख छत्तीस हजार पांच सौ केवल) के व्यय हेतु मंजूरी भी सूचित की जाती है। निवेदन किया जाता है कि परियोजना पर नियुक्त जेआरएफ के लिए अध्येता वृत्ति और आकस्मिक व्यय के लिए प्रधान अन्वेषक द्वारा दावा किया जाय।

Sanction is also conveyed to the expenditure of ₹ 2,36,500/- (Rupees Two Lakh Thirty Six Thousand Five Hundred Only) for the 1<sup>st</sup> year. The Principal Investigator is required to claim the fellowship and contingency for the JRF on the appointment of the fellow in the project.

3. प्रथम वर्ष के लिए ₹ 2,36,500/- (रूपए दो लाख छत्तीस हजार पांच सौ केवल) की राशि डीन रिसर्च, कश्मिर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, को निम्नलिखित बैंक विवरण के अनुसार वाया ट्रांसफर द्वारा जारी की जाए :

The sanctioned grant of ₹2,36,500/- (Rupees Two Lakh Thirty Six Thousand Five Hundred Only) for the 1<sup>st</sup> year may please be released by wire transfer/online transfer to Dean Research, University of Kashmir, Srinagar bank details as under:

बैंक खातेका प्रकार Type of Bank Account	:	Saving
बैंक खाता सं. Bank Account No	:	0007040500000057
बैंक का नाम Bank Name	:	University of Kashmir, Srinagar.
बैंक की शाखा Bank Branch	:	Jammu and Kashmir Bank, Hazratbal, Srinagar.
आईएफएससी कोड IFSC Code	:	JAKA0NASEEM
बैंक खाता धारक Account Holder	:	Dean Research , University of Kashmir, Srinagar.

4. व्यय को निम्नानुसार नामें किया जाए The expenditure is debitble to:

अनुदान सं. Grant No.	:	04-परमाणु ऊर्जा Atomic Energy
लेखा का मुख्य शीर्ष Major Head of Accounts	:	3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान Atomic Energy Research
लेखा का लघु शीर्ष Minor Head of Accounts	:	00 004-अनुसंधान एवं विकास Research & Development
लेखा का उप शीर्ष Sub Head of Accounts	:	27 02-अनुसंधान सहायता Research Support
लेखा का विस्तृत शीर्ष Detailed Head of Accounts	:	31-सहायता अनुदान (सामान्य) Grant-in-aid (General)
वित्तीय वर्ष Financial Year	:	2016-17

5. इसे आंतरिक वित्त सलाहकार की सहमति से जारी किया जाता है।

This is issued with the concurrence of IFA.

(प्रकाश पी. मठपति Prakash P. Mathpati)

अनुभाग अधिकारी (आरएंडडी-II) Section Officer (R&D-II)

भुगतान एवं लेखा अधिकारी पऊवि, मुंबई  
Pay & Accounts Officer, DAE, Mumbai

सं.No.2/48(15)/2016/एनबीएचएम(आरपी)NBHM(RP)/आरएंडडी R&D II/1041

09-12-2016  
22/12/2016

प्रतिलिपि Copy to :

1. लेखा परीक्षा निदेशक, वैज्ञानिक विभाग, आईएपी, वाणिज्य एवं विविध II, पऊवि, मुंबई-400 001  
The Director of Audit, Scientific Department, AEAP, Commerce & Misc.II, DAE, Mumbai - 400 001.
2. सदस्य सचिव मुंबई, पऊवि, एनबीएचएम, Member Secretary, NBHM, DAE, Mumbai - 400 001
3. सहायक लेखा अधिकारी (सी.सी.) मुंबई, पऊवि, AAO (CC), DAE, Mumbai - 400 001.
4. डॉ. मुख्तार अहमद खांडे, सहायक प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेथेमेटिक्स, कश्मिर विश्वविद्यालय हजरतबल, श्रीनगर-190006.  
Dr. Mukhtar Ahmad Khanday, Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar. (ईमेल Email : [khanday@gmail.com](mailto:khanday@gmail.com) )
5. रजिस्ट्रार, कश्मिर विश्वविद्यालय हजरतबल, श्रीनगर- 190006.  
Registrar, University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar - 190006. (ईमेल Email : [registrar@kashmiruniversity.net](mailto:registrar@kashmiruniversity.net) )

- सहायता अनुदान निम्नलिखित शर्तों के तहत जारी किया जाता है :

the grant in aid is subject to the following conditions:

- (a) सहायता अनुदान की वास्तविक राशि जो जारी की जाती है, वास्तविक व्यय की सीमा तक, बशर्ते बोर्ड द्वारा अधिकतम राशि की संस्वीकृति प्राप्त हो। The actual amount of grant-in-aid that would be released will be limited to the actual expenditure subject to the maximum recommended by the Board.
- (b) सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 43 के अनुसार संस्वीकृति आदेश के बारह माह की अवधि के दौरान यदि पूरा अथवा उसके किसी भाग का भुगतान नहीं होता है तो संस्वीकृति समाप्त हो जाएगी।

In accordance with Rule 43 of the General Financial Rules, this sanction will lapse if no payment in whole or part is made during a period of twelve months from the date of issue of the sanction order.

- (c) "उपरि व्यय" के तहत संस्वीकृत राशि से परियोजना के लेखों की लेखा परीक्षा करने हेतु लेखा परीक्षक/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को देय शुल्क हेतु परियोजना की सामान्य प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में राशि व्यय करने हेतु प्रधान अन्वेषक को प्राधिकृत करता है।

The Principal Investigator is authorized to incur the expenditure towards the general administrative requirement of the project and towards fees payable to Auditor/Chartered Accountant for audit of accounts of the project, from the funds sanctioned under "overhead" for the project.

- (d) दूसरे वर्ष में अनुदान को पूर्णतः (गत वर्ष के अप्रयुक्त शेष को समायोजित किया जाएगा) राशि को, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बिल की दो प्रतियों सहित विहित फार्म-II की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।

Grant for the 2<sup>nd</sup> year will be released in FULL (unspent balance of previous year will be adjusted) on receipt of the bill IN DUPLICATE in prescribed FORM-II along with the following documents.

- (i) लंबित वर्ष के लिए अप्रयुक्त प्रमाणपत्र (फार्म-III) Utilization Certificate (FORM-III) for the preceding year.
  - (ii) गत वर्ष हेतु आंतरिक लेखा परीक्षक/संस्थान/यूनिवर्सिटी के लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित लेखा विवरण Statement of Accounts signed by Internal Auditor/ Accountant of the Institution/ University(FORM-IV)- for the preceding year.
  - (iii) चयन समिति के कार्यवृत्त के साथ परियोजना के लिए नियुक्त कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति Copy of appointment order and joining report of the staff appointed the project along with Minutes of the Selection Committee.
  - (iv) उपस्कर की इन्वेंटरी (फार्म-V) An inventory of equipment (FORM-V)
- (e) कृपया यह नोट करें कि उक्त दावा इस दावे के देय होने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही इस विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा मंजूर अनुदान समाप्त हो जाएगा।

Please note that claims shall be submitted to this Department well in advance before the end of the financial year in which the claim is due, otherwise, the sanctioned grant will lapse.

- (f) जहां कंप्यूटर प्रभारों का भुगतान किया जाता है दावे के साथ ही वहां केंद्रीकृत कंप्यूटर फैसिलिटी के उपयोग हेतु प्रभारों का भुगतान करने संबंधी एक अलग से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।

A separate certificate for the charges paid for the use of the centralized computer facility must be attached along with claim whenever computer charges are paid.

457

: 6 :


- (g) वर्ष में एक बार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि उक्त परियोजना के कार्य की प्रगति रिपोर्ट के साथ नवीकरण आवेदनपत्र की 25 प्रतियां सदस्य सचिव, राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड, ओवाईसी, छ. शि. म. मार्ग, मुंबई-400 001 को भेजी जाएं।

The progress reports are required to be submitted once a year. Hence, it is requested that 25 copies of the renewal application with progress report of the work of the above project may be sent to the Member Secretary, National Board for Higher Mathematics, OYC, C.S.M. Marg, Mumbai 400 001

- (h) उक्त परियोजना के वित्तीय मामलों से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार (पदनाम के द्वारा) मंजूरी आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करते हुए अवर सचिव (आरएंडडी-II), परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, छ. शि. म. मार्ग, मुंबई-400 001।

All communications relating to financial matter of the project may please be addressed (by designation) to Under Secretary (R&D), Department of Atomic Energy, Anushakti Bhavan, C.S.M. Marg, Mumbai - 400 001. quoting the relevant sanction order number and date.

- (6) मंजूरी फाइल Sanction file.

  
( प्रकाश पी. मठपति Prakash P. Mathpati)  
अनुभाग अधिकारी (आरएंडडी-II) Section Officer (R&D-II)